संख्या–418/VI/2008–2(12)2006

प्रेषक,

श्याम सिंह,
अनुसचिव
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पर्यटन अनुभाग:

देहरादून दिनांक 21 अप्रैल, 2008

विषय: जिला योजना 2008–2009 हेतु स्पेशल कम्पोनेंट प्लान एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना में प्राविधानित धनराशि को जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखे जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–267/XXVII(1)/2008 दिनांक 27 मार्च, 2008 तथा राज्य योजना आयोग के पत्र संख्या–624/जि0यो0/रा0यो0आ0/मु0स0/2008,दिनांक 24 मार्च,2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय पर्यटक स्थलों का सौन्दर्यीकरण, विकास तथा सुविधाएं आदि (चालू/नये कार्य) हेतु जिला योजना 2008–09 में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान हेतु रू0 125.45 लाख (रूपये एक करोड़ पच्चीस लाख पैंतालिस हजार मात्र) तथा अनुसूचित जनजाति उपयोजना हेतु रू0 16.73 लाख (रूपये सोलह लाख तिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि निम्न जनपदवार प्लान परिव्यय के अनुसार जिलाधिकारियों के निवर्तन में रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

(धनराशि लाख रूपये में)

क0 सं0	जनपद का नाम	चालू योजनाओ हेतु परिव्यय		नई योजनाओं हेतु परिव्यय		वित्तीय वर्ष 2008–09 में स्वीकृत की जा रही धनराशि	
1	2	3		4		5	
	जनपद	S.C.P	T.S.P	S.C.P	T.S.P	S.C.P	T.S.P
1	नैनीताल	7.00	-	-	-	7.00	-
2	ऊधमसिंह नगर	-	-	-	-	-	-
3	अल्मोड़ा	-	-	13.00	-	13.00	-
4	पिथौरागढ	9.00	9.00	-	-	9.00	9.00
5	बागेश्वर	7.50	-	-	-	7.50	-
6	चम्पावत	-	-	-	-	-	-
7	देहरादून	16.40	2.73	-	-	16.40	2.73
8	पौड़ी	5.40	-	-	-	5.40	-
9	टिहरी	-	-	10.00	-	10.00	-
10	चमोली	-	-	27.00	5.00	27.00	5.00
11	उत्तरकाशी	20.84	-	-	-	20.84	-
12	रूद्रप्रयाग	9.31	-	-	-	9.31	-
13	हरिद्वार	-	-	-	-	-	-
	योग:–	***75.45***	***11.73***	***50.00***	***5.00***	***125.45***	***16.73***

2–उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3–उपरोक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय शासनादेशों में इंगित शर्तो के अधीन किया जायेगा।

4–स्वीकृत की जा रही धनराशि को जनपदवार आवंटित परिव्यय के अनुसार ही निर्गत किया जायेगा। धनराशि व्यय करते समय नियोजन विभाग द्वारा गठित परिव्यय का पूर्ण पालन किया जायेगा एवं नई योजनाओं की धनराशि पर्यटन विभाग एवं समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ की सहमति से निर्गत की जायेगी।

5–उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि स्वीकृत कार्य/योजना का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी कार्य स्थल पर इस आशय का एक साईनेज स्थापित करेगा कि उक्त कार्य पर्यटन विभाग के सौजन्य से किया गया है एवं साईनेज पर पर्यटन विभाग का लोगो सहित कार्य का विवरण भी इंगित कर दिया जायेगा। सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी निर्माण कार्य का भौतिक निरीक्षण कर कार्य पूर्ण होने की सूचना एवं योजना का फोटोग्राफ्स भी यथा समय शासन को उपलब्ध करायेंगे।

6–नये योजनाओं की धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति शासन द्वारा निर्गत की जायेगी तथा चालू योजनाओं की धनराशि उन्ही योजनाओं पर व्यय की जायेगी, जिनकी भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध हो एवं चालू योजना की धनराशि उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा अपने स्तर से निर्गत की जायेगी तथा निर्गत की जा रही धनराशि का आदेश पर्यटन विभाग एवं वित्त विभाग तथा समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराया जायेगा।

7–एक मुश्त रखी जा रही धनराशि का उपयोग सभी जनपदों के नये/चालू निर्माण हेतु किया जायेगा एवं इस प्रक्रिया में जनपदवार स्वीकृत परिव्यय के अन्तर्गत ही कुल स्वीकृति निर्गत की जायेगी। पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण चालू योजनाओं को शीर्षप्राथमिकता के आधार पर धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

8–जिला योजना पर व्यय जिला विकास एवं अनुश्रवण समिति द्वारा जनपदवार मात्राकृत प्लान परिव्यय के अनुसार ही धनराशि का आहरण कर व्यय किया जायेगा।

9–स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2009 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

10– स्पेशल कम्पोनेंट प्लान की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008–09 के **अनुदान संख्या–30** के अन्तर्गत लेखाशीर्षक –5452–पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–800–अन्य–02–अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेंट प्लान–91–जिला योजना–24–वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा तथा अनुसूचित जनजाति उपयोजना की धनराशि **अनुदान संख्या**–31 के लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय–80–सामान्य– आयोजनागत –796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना–02–अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये स्पेशल कम्पोनेंट प्लान–91–जिला योजना–01– चालू योजनायें–24–वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।

संख्या–410 /VI/2008–2(12)2006 तद्दिनांकित।

1–महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2–समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3–आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
4–निदेशक,पर्यटन निदेशालय,देहरादून।
5–निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
6–निजी सचिव,मा0 पर्यटन मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
7–निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8–वित्त अनुभाग–2.
9–श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव वित्त ।
10–अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11–अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11–समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी।
12–एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
13–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।